

**राजस्थान-सरकार**  
**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,**  
**राजस्थान-अजमेर**

क्रमांक : एफ.2(1050)स्था/पमु/2021/

दिनांक :

**आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2019-20 की रिक्तियों में श्री भीमसिंह चौधरी, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध ज्ञापन क्रमांक 143 दिनांक 05.02.2019 द्वारा एवं श्री प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध ज्ञापन क्रमांक 142 दिनांक 05.02.2019 द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी गयी।

श्री भीमसिंह चौधरी, वरिष्ठ सहायक एवं श्री प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच को निर्णय दिनांक 29.04.2022 द्वारा कार्मिकों के विरुद्ध ज्ञापन से लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने पर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है।

जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों कार्मिकों के प्रकरण में सीलबंद लिफाफे खोले गये। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसार उक्त दोनो कार्मिक पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर श्री भीमसिंह चौधरी, वरिष्ठ सहायक एवं श्री प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ सहायक को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के सामान्य वर्ग के रिक्त रखे गये 02 पदों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	वर्ग जिसके विरुद्ध पदोन्नति दी गई है।	दिनांक 01.04.2022 की वरिष्ठता सूची में नाम का विवरण	रिक्ति दिनांक
01	श्री भीम सिंह चौधरी	सामान्य	श्री पुष्कर दत्त शर्मा के नीचे एवं सुश्री संतोष कुमारी से ऊपर	01.04.2019
02	श्री प्रदीप शर्मा	सामान्य	श्री दीपक हिंगौनिया के नीचे एवं श्री प्रदीप सिंह पडिहार के ऊपर	01.04.2019

उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापन पद पर यथावत कार्य करते हुए कार्यग्रहण रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा समस्त वित्तीय लाभ राज्यादेश दिनांक 23.02.2015 के अनुसरण में देय होंगे।


-sd-  
(शरद मेहरा)  
महानिरीक्षक

दिनांक : 29/06/22

क्रमांक : एफ.2(1050)स्था/पमु/2021/8792-8799

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कार्यालय .....
2. संबंधित कार्मिक.....
3. निजी पत्रावली संबंधित कार्मिक.....
4. रक्षित पत्रावली।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

  
(अनिता चौधरी)  
उप महानिरीक्षक(कर)